

## 1. प्रारंभ

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अध्याय III- बी या उसके किसी भाग से कुछ कंपनियों/संस्थाओं(इंटीटीज़) को छूट देने के लिए समय-समय पर अधिसूचनाएं जारी की हैं। जहाँ मास्टर परिपत्र प्रयोगकर्ताओं को समेकित परिपत्र के लाभ देने के लिए तैयार किया गया है, वहीं परिचालन के प्रयोजनार्थ वे संबंधित अधिसूचनाओं में अंतर्विष्ट अनुदेशों/निदेशों को देखने का कष्ट करें। मास्टर परिपत्र अनुबंध में अंकित अधिसूचनाओं पर आधारित है।

### 2(i) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अध्याय III- बी के प्रावधानों से छूट- आवास वित्त संस्थाएं

रिज़र्व बैंक ने उस गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अध्याय III बी<sup>1</sup> के प्रावधानों से छूट दी है जो राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 2(डी) की परिभाषा के अनुसार एक आवास वित्त संस्था है।

### 2(ii) मर्चेट बैंकिंग कंपनी<sup>2</sup>

मर्चेट बैंकिंग कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-IA (पंजीकरण और निवल स्वाधिकृत निधि संबंधी अपेक्षा), धारा 45-IB (चल परिसंपत्तियाँ रखना), धारा 45-IC (प्रारक्षित निधि का निर्माण),<sup>3</sup> गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी जनता से जमाराशि स्वीकरण (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1998 और<sup>4</sup> गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ विवेकपूर्ण मानदण्ड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1998 के प्रावधानों से छूट दी गई है बशर्ते वह निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन/ को पूरा करती हो:

- a) वह भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के पास भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 12 के अंतर्गत मर्चेट बैंकर के रूप में पंजीकृत हो और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड मर्चेट बैंकर (नियमावली), 1992 तथा भारतीय

---

प्रतिभूति और विनियम बोर्ड मर्चेट बैंकर (विनियमावली), 1992 के अनुसार मर्चेट बैंकर का काम कर रही हो;

<sup>1</sup> अधिसूचना सं.DFC(COC) सं. 112/ED(SG)/97 सप्टिम्बर 18 जून 1997 का परिपत्र सं. DFC(COC)4438/02.04/96-97

<sup>2</sup> अधिसूचना सं.DFC 123/ED(G)/98 दिनांक 3 फरवरी 1998

<sup>3</sup> अधिसूचना सं.DFC(COC) सं. 118/DG(SPT)/98 दिनांक 31 जनवरी 1998

<sup>4</sup> अधिसूचना सं.DFC(COC) सं. 119/DG(SPT)/98 दिनांक 31 जनवरी 1998

- b) केवल मर्चेट बैंकिंग के कारोबार के भाग के रूप में प्रतिभूतियों को अधिग्रहीत करती हो;
- c) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-I(c) में यथावर्णित कोई अन्य वित्तीय कार्य न करती हो; और
- d) 31 जनवरी 1998 की अधिसूचना सं.DFC.118/DG(SPT)-98 के पैराग्राफ 2(1)(xii) में यथा परिभाषित जनता से जमाराशियां न तो स्वीकार करती हो और न रखती हो।

## 2 (iii) माइक्रो फायनांस कंपनियाँ

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934(1934 का 2) की धारा 45-IA, 45-IB तथा 45-IC किसी ऐसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी पर लागू नहीं होंगी

- जोकि

- a) माइक्रो फायनांस <sup>5</sup> कारोबार में लगी हो और किसी गरीब व्यक्ति को अपनी आय बढ़ाने और अपना जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए कारोबारी उद्यम हेतु रु 50,000/- एवं आवासीय इकाई की लागत को पूरा करने के लिए रु 1,25,000/- से अधिक का ऋण उपलब्ध न करा रही हो; और
- b) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त हो; और
- c) 31 जनवरी 1998 की अधिसूचना सं.DFC.118/DG(SPT)-98 के पैराग्राफ 2(1)(xii) में यथा परिभाषित जनता से जमाराशियां न स्वीकार करती हो।

## परस्पर लाभ कंपनियाँ (MBC)

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934(1934 का 2) की धारा 45-IA, 45-IB तथा 45-IC किसी ऐसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी पर लागू नहीं होंगी जोकि

- 31 जनवरी 1998 की अधिसूचना सं.DFC. 118/DG(SPT)/98 में अंतर्विष्ट गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी जनता से जमाराशि स्वीकरण (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1998 के पैराग्राफ 2(1)(ixa) में परिभाषित एक परस्पर लाभ कंपनी (MBC) है। परस्पर लाभ कंपनी (MBC) का अर्थ ऐसी कंपनी से है जिसे कंपनी अधिनियम, 1956(1956 का 1) की धारा 620A के अंतर्गत अधिसूचित नहीं किया गया है और जो गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था का कार्य

-

<sup>5</sup> अधिसूचना सं.DNBS 138/CGM(VSNM)-2000 सपटित 13 जनवरी 2000 का परिपत्र सं. DNBS(PD)CC. 12/02.01/99-2000

- a) 9 जनवरी 1997 को कर रही है; और
- b) जिसकी सकल निवल स्वाधिकृत निधियाँ और अधिमानी शेयरपूंजी दस लाख रुपए से कम नहीं है; और
- c) जिसने 9 जुलाई 1997 को या उससे पूर्व पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने के लिए रिजर्व बैंक को आवेदन किया है ; और
- d) जो केंद्र सरकार द्वारा निधि कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 637A के अंतर्गत जारी निदेशों के संबंधित प्रावधानों में अंतर्विष्ट अपेक्षाओं का अनुपालन करती है।

## 2(iv) सरकारी कंपनियाँ

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934(1934 का 2) की धारा 45- IB व धारा 45- IC, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी जनता से जमाराशि स्वीकरण (रिजर्व बैंक) निदेश, 1998 के पैरा 4 से 7 और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ विवेकपूर्ण मानदण्ड (रिजर्व बैंक) निदेश, 1998 के पैराग्राफ 13A को छोड़कर जो कंपनी के पते, निदेशकों, लेखापरीक्षकों, आदि में परिवर्तन से संबंधित जानकारी रिजर्व बैंक को प्रस्तुत करने से संबंधित है, किसी ऐसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी पर लागू नहीं होंगे जिसे भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45 I(f) में सरकारी कंपनियों<sup>6</sup> के रूप में परिभाषित किया गया है व जैसाकि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में परिभाषित है। एक सरकारी कंपनी वह कंपनी है जिसकी प्रदत्त पूंजी के 51% से अन्यून केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या सरकारों या अंशतः केंद्र सरकार द्वारा और अंशतः एक या अधिक राज्य सरकार/रों के पास है, और जिसमें वह कंपनी भी शामिल है जो किसी सरकारी कंपनी की अनुषंगी कंपनी हैं जैसाकि इस संबंध में परिभाषित है।

## 2(v) <sup>7</sup>वेंचर कैपिटल फंड कंपनियाँ

<sup>6</sup> अधिसूचना सं. DNBS 134,135,138/CGM(VSNM)-2000 सपटित 13 जनवरी 2000 का परिपत्र सं. DNBS(PD)CC. 13/02.01/99-2000

<sup>7</sup> अधिसूचना सं. DNBS 163/CGM(CSM)-2002 सपटित 28 नवंबर 2002 का परिपत्र सं. DNBS(PD)CC. 22/02.59/2002-03





अनुबंध

क्र.	अधिसूचना संख्या	दिनांक
1	अधिसूचना सं.DFC(COC) सं. 112/ED(SG)/97 सपठित परिपत्र सं. DFC(COC)4438/02.04/96-97	18 जून 1997
2	अधिसूचना सं.DFC 123/ED(G)/98	3 फरवरी 1998
3	अधिसूचना सं. 134, 135, 138/CGM(VSNM)/2000 सपठित परिपत्र सं. DNBS(PD) CC 12/02.01/99-2000	13 जनवरी 2000
4	अधिसूचना सं.DNBS 163/CGM(CSM)-2002 सपठित परिपत्र सं. DNBS(PD)CC. 22/02.59/2002-03	28 नवंबर 2002
5	अधिसूचना सं.DNBS 164/CGM(CSM)-2003 सपठित परिपत्र सं. DNBS(PD)CC. 23/01.18/2002-03	8 जनवरी 2003
6	अधिसूचना सं.DNBS 3/CGM(OPA)-2003	28 अगस्त 2003
7	अधिसूचना सं. गैबैपवि. 197/मुमप्र(पोके)-2007	22 नवंबर 2007
8	अधिसूचना सं.DNBS(PD)(MGC) 2/CGM(PK)-2008 सपठित परिपत्र सं. DNBS(PD)(MGC)CC No. 111/03.11.001/2007-08	15 जनवरी 2008